# प्रेस–नोट

दिनांक 31.03.2022

श्री हरीराम कानि. 1963 (निलम्बित), रिजर्व पुलिस लाईन आयुक्तालय जोधपुर को दिनांक 23.01.2022 को नाकाबंदी के दौरान पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी जिला जोधपुर पश्चिम द्वारा रोका जाकर तलाशी ली गई तो उसकी कार की डिक्की में 23 किलोग्राम अवैध डोडापोस्त पाया जाने पर श्री हरीराम कानि. 1963 को गिरफ्तार कर अवैध डोडापोस्त बरामद किया जाकर प्रकरण संख्या 47/2022 दिनांक 23.01.2022 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया। कानिस्टेबल श्री हरीराम को निलम्बित कर प्राथमिक जांच करवाई गई। जांच से कानि. के आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों से मिलीभगत एवं अवैध मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त होने के आरोप प्रमाणित पाये गये। पूर्व में भी उक्त कानि. मादक पदार्थो एवं आपराधियों से लिप्तता के संबंध में विभागीय कार्यवाही की जाकर दण्डित किया गया था। श्री हरीराम कानि. का उक्त कृत्य आपराधिक मानसिकता, घोर अनुशासनहीनता, स्वैच्छाचारिता, अकर्मण्यता एवं आचरण पुलिस नियमों के विरूद्ध होने से दिनांक 30.03.2022 को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया।

ओर से
(राजकुमार चौधरी)
पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय एवं यातायात
जोधपुर